vkj- ch- lh- 6&4 d vUrxr & ikd`frd idkik l gb
Qly {kfr] edku {kfr] tugkfu] i'kgkfu ,o
vU; {kfr;k d fy; vkfFkd lgk;rk vuqnku

1 ;ktuk dh ik=rk %&

फसल क्षति निम्नानुसार आंकलन उपरांत 25 प्रतिशत से कम होने पर देय नहीं है। फसल क्षति 25 प्रतिशत से अधिक होने पर, आंकलन के आधार पर ही आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

(प्रभावित रकबा x प्रभावित रकबे में क्षति का प्रतिशत) कुल बोया गया रकबा = औसत क्षति का प्रति

अन्य शेष क्षतियां आर बी. सी. 6–4 के तहत देय होगी।

2 ;ktuk dk Lo:i ,o n; ykHk %&

,d ¼d½ %& Qly gkfu d fy; vkfFkd lgk;rk %& ¼ ifr gDV;j e ½

1 लधु एवं सीमांत कृषक – (0 से 2 हेक्टेयर भूमि धारित किसान)

फसल हानि	25 से 50 प्रतिशत	/ 50 प्रतिशत से अधिक
वर्षा आधारित फसल के लिये	2000 रू.	3000 रू.
सिचिंत फसल के लिये	3500 रू.	7500 रू.
बारह माही फसल (6 माह से कम की)	5000 रू.	7500 रू.
बारह माही फसल (6 माह से अधिक की)	7500 रू.	10000 रू.

2 लधु एवं सीमांत कृषक से भिन्न कृषक – (2 हेक्टेयर से अधिक भूमि धारित किसान)

वर्षा आधारित फसल के लिये	1500 रू.	2500 रू.
सिचिंत फसल के लिये	2500 रू.	5000 रू.
बारह माही फसल (6 माह से कम की)	3500 रू.	5000 रू.
बारह माही फसल (6 माह से अधिक की)	5000 रू.	7500 रू.

फसल हानि के मामले में सहायता राशि नियमानुसार मापदण्ड अनुसार वितरित होगी किन्तु जिन मामलों में सहायता देय है और क्षति देय राशि से कम आंकलित की गई है उनमें भी कम से कम रूपये 500 की सहायता दी जायेगी ।

oU; ikf.k;k }kjk d"kdk dh Qlyk dk igpkb xb {kfr d lc/k में भी उपरोक्तानुसार ही सहायता दी जावेगी जिसके संबंध में मावजा निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:–

1. वन्य प्राणियों द्वारा फसल क्षतिकिए जाने पर प्रभावित व्यक्ति द्वारा फसल हानि होने के 24 घंटे के भीतर आवेदनपत्र निकटतम राजस्व अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा ।
2. राजस्व विभाग में प्रचलित प्रक्रिया अनुसार हानि का आकलन राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जायगा । आवश्यक होने पर राजस्व अधिकारियों द्वारा कृषि विभाग एवं वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों की सेवाए स्थल निरीक्षण हेतु प्राप्त की जा सकेंगी ।
3. राजस्व अधिकारियों द्वारा हानि का आंकलन कर जिले के कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रेषित किया जाएगा, जिस पर कलेक्टर द्वारा हानि की राशि, अन्य विवरण के साथ संबंधित वन मंडलाधिकारी को संसूचित की जाएगी ।
4. वन मंडलाधिकारी को कलेक्टर से मुआवजा राशि संबंधी विवरण प्राप्त होने पर प्राप्त दिनांक से एक माह के भीतर तदनुसार राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक होगा ।

¼[k½ %&Qynkj iM mu ij yxh Qly vkfn dh gkfu d fy; vkfFkd vuqnku %&

1	फलदार पेड या उन पर लगी फसले (प्रति पेड)	200 रू.	300 रू.
2	संतरा,नीबू के बगीचे, पपीता केला, अंगूर, अनार आदि की फसले (प्रति हे0)	4000 रू.	6000 रू.
3	पान बरेजे आदि (प्रति हेक्टेयर)	12000 रू.	20000 रू.
	या (प्रति पारी)	300 रू.	500 रू.

fMIVh dyDVj
iHkkjh vf/kdkjh ¼jkgr½] flouh

परन्तु किसी भी कृषक को फसल हानि या फलदार पेड़ पर लगी फसलों के लिये सहायता राशि 30000/– से अधिक देय नहीं होगी ।

nks %& i'k@i{kh ¼eqxh@eqxk½ gkfu ds fy;s vkfFkZd lgk;rk %&
¼d½ i'kq gkfu ds fy;s %& ¼ izfr i'kq ½

गाय/बैल/भैंस/घोडा/ऊंट	10000 रू.
बकरी/भेड	1000 रू.
गधा	5000 रू.
सुअर	1500 रू.
बच्चा – भैंस, घोडा, गाय, ऊंट	5000 रू.
बच्चा – भेड, बकरी,, सुअर, गधा	250 रू.

¼[k½ i{kh ¼ eqxh@eqxk ½ %& ¼ izfr i{kh ½

मुर्गी/मुर्गा (10 सप्ताह से अधिक आयु के)	40 रू.
चूजा (4 से 10 सप्ताह तक की आयु के)	20 रू.

rhu %&u"V gq;s edku ds fy;s vkfFkZd lgk;rk %&
¼ okLrfod {kfr ds vkdyu ds & vk/kkj ij ½

1 पूर्ण नष्ट (मरम्मत योग्य नहीं)

पक्का मकान	35000 रू.
कच्चा मकान	20000 रू.
झुग्गी/झोपडी (विधि संगत निर्माण)	6000 रू.

2 गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त (क्षति 50 प्रतिशत से अधिक हो)

पक्का मकान	5000 रू.
कच्चा मकान	3000 रू.
झुग्गी/झोपडी (विधि संगत निर्माण)	2000 रू.

3 आंशिक क्षतिग्रस्त (क्षति 15 से 50 प्रतिशत हो)

पक्का मकान	2500 रू.
कच्चा मकान	1500 रू.
झुग्गी/झोपडी (विधि संगत निर्माण)	1000 रू.

pkj %& diMks] crZuks ,oa [kk?kkUu dh {kfr ds fy;s vkfFkZd lgk;rk %&

1 प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्धटना के कारण मकान नष्ट हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने अथवा घरों में पानी धुस जाने से पीडित परिवार के कपडे एवं खाधान्न गीले होकर क्षतिग्रस्त हो जाने पर दैनिक उपयोग के कपडों एवं बर्तनों की हानि के लिये प्रभावित परिवार को प्रति परिवार 2000 रू. आर्थिक अनुदान सहायता दी जायेगी ।

2 प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्धटना के कारण मकान नष्ट हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने अथवा धरों में पानी धुस जाने से पीडित परिवार के कपडे एवं खाधान्न गीले होकर क्षतिग्रस्त हो जाने पर प्रभावित परिवार को प्रति परिवार 50 किलोग्राम खाधान्न (गेहू/चावल) एवं 5 लीटर केरोसीन तात्कालिक सहायता के रूप में दिया जावेगा। यह सहायता एक आपदा के प्रभावित परिवार को केवल एक बार ही दी जायेगी।

ikap %& e`r O;fDr ds ifjokj@fudVre okfjl dks vkfFkZd lgk;rk %&

1 नैसार्गिक विपत्तियों (तूफान,भूकम्प,बाढ,अतिवृष्टि,ओलावृष्टि,भूस्खलन,आकाशिय बिजली गिरने आदि) के कारण मृत व्यक्ति के परिवार के निकटतम व्यक्ति/वारिस को 1,00,000 रूपये सहायता ।

fMIVh dysDVj
iz.Hkkjh vf/kdkjh ¼jkgr½] flouh

2 सर्प,गुहेरा या जहरीले जन्तु के काटने से अथवा नाव दुर्धटना से मृत्यु हो जाने पर अथवा बस या अधिकृत अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नदी या जलाशय में गिरने या पहाडी आदि से खडड में गिरने के कारण वाहन पर संचार व्यक्ति के मृत्यु होने पर 50,000 रूपये सहायता ।

N% %& ¼1½ 'kkfjfjd vax gkfu d fy, vfFkd lgk;rk %&

क नैसार्गिक वित्तियों (तूफान, भूकम्प, बाढ, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, आकाशिय बिजली गिरने, आग) के कारण महत्वपूर्ण अंग की हानि (हाथ,पैर,या दोनों आंखों की हानि) हुई है तो ऐसे पीडित व्यक्ति को चिकित्सक द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित किये जाने पर 40 से 75 प्रतिशत विकलांगता होने पर 35,000 रू. और 75 प्रतिशत से अधिक विकलांगता होने पर 50,000 रू. सहायता।

ख नाव दुर्धटना से धायल हो जाने पर अथवा बस या अधिकृत अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नदी या जलाशय में गिरने या पहाडी आदि से खडड में गिरने के कारण वाहन पर सवार व्यक्ति के महत्वपूर्ण अंग की हानि (हाथ,पैर या दोनों आंखों की हानि) हुई है तो ऐसे पीडित व्यक्ति को 20,000 रू. सहायता ।

¼2½ xHkhj 'kfjfjd {kfr ftlesa 0;fDr ,d lIrkg ls vf/kd vLirky esa Hkrh jgh%&

नैसागिक वित्तियों (तूफान,भूकम्प,बाढ,ओलावृष्टि,भूस्खलन,आकाशिय बिजली गिरने, आग खलियान या मकान में आग लगने की दुर्धटना को शामिल करते हुये)के कारण अथवा नाव दुर्धटना से घायल हो जाने पर अथवा बस या अधिकृत अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नदी या जलाशय में गिरने या पहाडी आदि से खडड में गिरने के कारण वाहन पर सवार व्यक्ति के महात्वपूर्ण अंग की हानि हुई यथा हाथ,पैर फेक्चर जैसी गंभीर शारिरिक क्षति होने पर प्रमुख चिकित्सक से आवश्यक परामर्श करते हुयेएक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने पर 7500 रू. तक अर्थिक सहायता।

lkr %& ykokfjl 'ko d vfre lLdkj d fy; lgk;rk %&

नैसगिक विपत्तियों के कारण हुई जनहानि के ऐसे मामलों में लावारिस शव प्राप्त होने पर ऐसे लावारिस शवों का अंतिम संस्कार हेतु स्थानीय निकाय (ग्राम पंचायत,नगर पंचायत,नगर पालिका,नगर निगम) को 2000 रू. सहायता।

vkB %& er i'kvk d fuorlu dh 0;oLFkk %&

नैसर्गिक विपत्तियों के कारण हुई पशु हानि के मामलों में मृत पशुओं का त्वरित निर्वतन करने के लिये 100 रू. प्रति पशु या वास्तविक व्यय,इनमें से जो कम हों।

ukS %& dqEgkj d HkVV e bV rFkk [kijs cjckn gksu ij vfFkd vuqnku lgk;rk

कुम्हार के भटटे में ईट तथा खपरों के अलावा अन्य मिटटी के बर्तन बरवाद होने पर हानि के मूल्यांकन के आधार पर 3000 रू. तक सहायता उपलब्ध कराई जावेगी।

¼d½ cqudjks@gLrf'kfYi;ks dks nh tkus okyh lgk;rk %&

उपकरण/औंजार क्षतिग्रस्त होने पर प्रति बुनकर/शिल्पी – 2000 रू अधिकतम माल अथवा कच्चे माल क्षतिग्रस्त होने पर क्रय हेतु – 2000 रू. अधिकतम नैसगिक आपदा से प्रभावित बुनकर/परम्परागत शिल्प के क्षेत्र में काम करने वाले हस्त शिल्पी को उनके उपकरण/औजार क्षतिग्रस्त होने पर 2000 रू. एवं उनके द्वारा तैयार माल अथवा कच्चे माल के क्षतिग्रस्त होने पर कच्चे माल या धागा और अन्य तत्संबंधी रंग, रसायन आदि क्रय करने के लिये प्रति बुनकर/शिल्पी अधिकतम 2000रू. सहायता।

nl %& vfXu ;k ck<+ ls izHkkfor nqdkunkjks dks lgk;rk %&

ऐसे छोटे दुकानदारों को, जिनकी दुकानें अग्नि दुर्घटना में या अतिवर्षा/बाढ के कारण नष्ट हो जाती है और दुकानों का बीमा नहीं तो – (बार्षिक आय 35000 रू. से अधिक न होने पर)

(क) अधिकतम 6000 रू. तक प्रति दुकानदार आर्थिक सहायता

(ख) अधिकतम 25000 रू तक ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा।

fMIVh dysDVj
izHkkjh vf/kdkjh ¼jkgr½] flouh

X;kjg %& vLFkk;h jkgr dSEi esa fuf'kqYd jgus ,oa Hkkstu dh O;oLFkk %&

प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्धटना के कारण पीडितों को तत्काल राहत के रूप में अस्थायी केम्पों में रखा जाना आवश्यक हो तो अधिकतम 7 दिनों तक अस्थायी केम्प चलाने की स्वीकृति दी जा सकेगी । प्रत्येक पीडित व्यक्ति के लिये प्रतिदिन 20 रू. भोजन आदि की व्यवस्था हेतु व्यय किये जा सकेगें।

Ckkjg %& ck< o rwQku ls iHkkfor eNqvkjksa dks nh tkus okyh lgk;rk %&

मछली पकडने वालों की नावों (जो मशीन से संचालित न हो व जिनका बीमा न हो) नाव नष्ट होने पर क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम 12000 रू. जाल या डोंगी नष्ट होने पर क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम 4000 रू. जाल या अन्य उपकरणों की मरम्मत के लिये आंकलन के आधार पर 2000 रू.

¼d½ iHkkfor eNqvkjksa dks nh tkus okyh vU; lgk;rk %&

1 नैसगिक आपदा यथा अतिवृष्टि,बाढ,भूस्खलन,भूकम्प,आदि से मछली फार्म क्षतिग्रस्त होने पर मरमम्मत के लिये प्रभावित को 6000 रू. तक प्रति हेक्टेयर के मान से सहायता अनुदान। उन मामलों में देय नहीं है जिसमें सरकार की अन्य किसी योजना के अन्तर्गत सहायता या अनुदान दिया गया है।

2 मछली बीज नष्ट हो जाने पर प्रभावितों को 4000 रू. तक प्रति हेक्टेयर के मान से सहायता दी जावेगी । उन मामलों में देय नहीं है जिसमें मछली पालन विभाग कीयोजना के अन्तर्गत एक बार दिये गये आदान/अनुदान (सवसीडी) के अतिरिक्त सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सहायता या अनुदान दिया गया है।

rsjg %& dq,a ;k uydwi dks u"V gksus ij nh tkus okyh lgk;rk %&

प्राकृतिक प्रकोप से प्रायवेट (निजी) कुंआ या नलकूप आदि टूट–फूट या घस जाने पर क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम 6000 रू. सहायता अनुदान।

pkSng %& cSyxkMh ;k vU; df"k midj.k u"V gksus ij vkfFkZd lgk;rk %&

आग या अन्य प्राकृतिक आपदा से कृषक की बैलगाडी अथवा अन्य कृषि उपकरण नष्ट हो जाने पर वास्तविक आंकलन के आधार पर अधिकतम 4000 रू. अनुदान सहायता देय है।

;kstuk gsrq vkosnu dk rjhdk ,oa mlds lkFk vko';d nLrkost %&

नैंसर्गिक आपदा यथा – अतिवृष्टि, बाढ, भू–स्खलन, भूकम्प आदि अथवा आग के कारण फसल क्षति/मकान क्षति/दुकान क्षति/कुआं या नलकूप आदि टूटफूट या धिस जाने/बैलगाडी या अन्य कृषि उपकरण नष्ट हो जाने पर संबंधित हितग्राहित द्वारा ग्राम कोटवार पटेल/सरपंच/पटवारी/राजस्व निरीक्षक को लिखित या मौखिक सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पटवारी कृषक के बताये अनुसार एवं स्वयं के नजरी आंकलन के आधार पर स्थल/मौका जॉच करके स्थल पंचनामा/नजरी नक्शा/क्षति का आंकलन आदि तैंयार कर राजस्व निरीक्षक के माध्यम से संबंधित राजस्व अधिकारी को प्रस्तुत करेगा राजस्व अधिकारी प्रकरण पंजीबद्ध कर तुरंत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें एवं नियमानुसार आर. बी.सी. 6.4 के तहत क्षति के आंकलन के आधार पर, हितग्राही को मुआवजा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करायेगें।

जनहानि की स्थिति में ग्राम कोटवार/सरपंच/पंच/ग्राम पटेल किसी के भी द्वारा सूचना मिलने पर तत्काल पटवारी/राजस्व अधिकारी स्थल पर जाकर, प्रतिवेदन एवं मृत्यु का कारण तथा पंचनामा स्थल पर ही तैयार कर संबंधित वरिष्ट राजस्व अधिकारी को प्रतिवेदित करेंगें। संबंधित क्षेत्र के थाना में रिपोर्ट दर्ज करायेगें। थाना प्रभारी द्वारा स्थल निरीक्षण कर, मृतक को पी. एम. हेतु नजदीक के स्वास्थ्य विभाग को भेजा जावेगा। संबंधित क्षेत्र के चिकित्सक द्वारा पी.एम. किया जाकर रिपोर्ट थाना/पीडित व्यक्ति को दी जायेगी । मृतक का मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं दो स्थानीय गवाहों के कथन सत्यापित करते हुये राजस्व अधिकारी प्रकरण पंजीबद्ध कर तुरंत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें एवं नियमानुसार आर.बी.सी. 6.4 के तहत मृतक के निकटतम संबंधी/वारिसानों को मुआवजा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।

पशुहानि की स्थिति में संबंधित हितग्राही पटवारी या राजस्व अधिकारी को तत्काल सूचना देगा। सूचना प्राप्त होने पर पटवारी तुरंत स्थल जांच कर मय पंचनामा के, मृत्यु का कारण प्रतिवेदित करेंगें तथा संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी या क्षेत्रीय डॉक्टर द्वारा पी. एम. रिपोर्ट दी जायेगी। राजस्व अधिकारी प्रकरण पंजीबद्ध कर तुरंत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें एवं नियमानुसार आर.बी.सी. 6.4 के तहत संबंधित को मुआवजा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।

vkonu fdls iLrqr djuk gS %&

संबंधित क्षेत्र/तहसील के पटवारी/नायब तहसीलदार/तहसीलदार को प्रस्तुत किये जायेंगें।

xr c"k@bl o"k dk y{; %&

शासन द्वारा लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है । प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण तहसीलदार स्तर से 10 दिवस के अन्दर तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/कलेक्टर के स्तर से 15 दिवस के अन्दर प्रकरणों के निराकरण किया जाता है।

fMIVh dyDVj
iHkkjh vf/kdkjh ¼jkgr½] flouh